न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 17/2018
दायर दिनांकः 06.11.2018
निर्णय दिनांक 19.05.2025

—: अनवान :—

महिपालसिंह पिता स्वर्गीय मानसिंह जी जाति डोडिया राजपूत निवासी लावा सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द **— प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ ज़रिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लावा सरदारगढ़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द **— गैर निगराकारगण**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 18364 दिनांक 27.7.2003 जारी द्वारा ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित। (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा विलेख 18364 दिनांक 27.07.2003 द्वारा ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ़ के पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत, लावा सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में एक पट्टा विलेख जारी किया है। उक्त पट्टा विलेख विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो जारी किया है, वह निगराकार की सम्पत्ति का जारी किया गया है उक्त सम्पत्ति मांजी सा0 शोभाग्य कंवर कि शक्तावतजी की सराय के रूप में मानी जाती है जो निगराकार के पूर्वाधिकारी के स्वामित्व अधिपत्य की रही है। उक्त सराय ठिकाना सरदारगढ़ मौजूद था, उस समय से निर्मित थी। जिसका पट्टा गलत रूप से विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी कर दिया गया था जो अवैध एवं विधि के विपरीत है। पट्टा जारी करने में नियमों की पालना नहीं की गयी है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त जायदाद में कोई हक अधिकार स्वत्व व स्वामित्व निहित नहीं है। उक्त जायदाद में ठिकाने के समय सराय के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। सन 1950 से पूर्व से यह भवन बना हुआ है उक्त भवन में मुसाफीर ठहरते थे तथा प्राप्त किराया माजी सा० शोभाग्य कंवर को प्राप्त होता था तथा उनके

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

व्यवस्था पत्र अनुसार उनके स्वर्गवास के बाद उक्त व्यवस्था के अनुसार उनके वारिसान को प्राप्त होता था ओर भवन भी उसी व्यवस्था अनुसार वारिसान को प्राप्त हुआ है। उक्त भवन का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो अवैध व विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त कराने के लिये यह निगरानी याचिका इन आधारों पर पेश है कि उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है, उसके संबंध में विपक्षी संख्या 2 को उक्त जायदाद कहां से व किस रूप से प्राप्त हुई है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 को सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गयी है। भूमि अन्दर हल्का आबादी में बना हुआ भवन है और उक्त भवन का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भवन को विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व का मानते हुए पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। उक्त भवन 100 वर्ष से भी अधिक पुराना बना हुआ है जो उक्त विपक्षी संख्या 2 द्वारा नहीं बनाया गया है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त भवन के समय अस्तित्व ही नहीं था ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त भवन का निर्माण किया जाना किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। बने हुए भवन में ही उक्त स्कूल का संचालन वर्षों से हो रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भवन को स्कूल की सम्पत्ति मानने में त्रुटि कारित की हैं। उक्त सम्पत्ति आजादी से पूर्व ही मौजूद थी तथा आजादी से पूर्व इस भवन को मांजी सा० शक्तावतजी की सराय के रूप में माना हुआ जाना जाता था और उक्त सम्पत्ति ठिकानेदार सरदारगढ ठकुरानी श्रीमती शौभाग कुंवर पत्नी सोहनसिंहजी की निजी सम्पत्ति थी और इससे प्राप्त आय भी उन्हें ही प्राप्त होती थी और उन्होंने उक्त सराय को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने से अपने जीवनकाल में वसीयत/व्यवस्था पत्र सम्वत 1994 आसोज सुदी सातम शुक्ल पक्ष में अथर्थात सन 1937 में निष्पादित की थी। उक्त सराय के संबंध में वसीयत/व्यवस्था पत्र निष्पादित कर अपनी पुत्रवधू कुंवरानी मेड़तियानी सा० पत्नी कुंवर लक्ष्मणसिंहजी डोडिया तथा निगराकार की दादीमाह को प्रदान की थी और निगराकार की दादीमाह के स्वर्गवास के बाद यह सम्पत्ति निगराकार को प्राप्त हुई है और उक्त सम्पत्ति निगराकार में निहित हो चुकी है. जिसका पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी करने में त्रुटि कारित की गयी है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत सरदारगढ द्वारा प्रचलित नियमों की पालना नहीं की गयी है। न तो विधिनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है न ही आवेदन पर विधिनुसार कार्यवाही हुई है। न तो आपत्ति आमंत्रित की गयी, न ही मौका रिपोर्ट बनाई गई है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने न तो कोई प्रस्ताव पारित किया है, न ही पंचायत द्वारा उक्त पट्टे की पत्रावली में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक से उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में और किस आदेश से प्राप्त हुई है. ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। निगराकार के स्वामित्व के भवन का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के नाम पर गलत रूप से जारी कर दिया गया है जो विधि के विपरीत हैं। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किया है लेकिन पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के तहत बने हुए नियमों की पालना उक्त मामले में ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है। पंचायत को यदि उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किये है तो बिना किसी दस्तावेज या आदेश के ग्राम पंचायत को उक्त मामले में पट्टा जारी नहीं करना था क्योंकि सामान्य परिस्थिति में भी यह स्पष्ट था कि विपक्षी संख्या 2 एक राजकीय संस्थान है और यदि उसके स्वयं की यह भूमि होती तो उसके आवंटन का आदेशविपक्षी संख्या 2 के पास मौजूद होता लेकिन ऐसा कोई आदेश उक्त मामले में विपक्षी संख्या 2 के पास मौजूद नहीं रहा हे ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे की कार्यवाही में किसी प्रकार का ऐहतियात ग्राम पंचायत द्वारा नहीं रखा गया और मनमकसूद तरीके से यह पट्टा जारी कर दिया गया है जबकि पट्टेशुदा भूमि में बना हुआ भवन विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्मित ही नहीं किया गया हैं यह तथ्य विपक्षी संख्या 1 बखूबी जानता था लेकिन विपक्षी संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1 ने उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी निगराकार के स्वामित्व के भवन का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया है जो विधि के विपरीत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित हुए एवं निगरानी याचिका का जवाब पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आजादी के समय ठिकाना सरदारगढ़ की और से यहाँ इसी भवन में जो एक मंजिला था स्कूल चलता था जागीर पुनग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद यह भवन सन् 1949 में सरकार के कब्जे में आया। वहाँ सरकार एवं जनता के सहयोग से दूसरी मंजिल की तामीर करवाई स्कूत बदस्तुर चलती रही वर्तमान में इस भवन में बालिका माध्यमिक विद्यालय चल रहा है एवं राज्य सरकार में इस भवन का स्वामित्व होकर उसने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भवन का सुविधानुसार ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त किया जो वैध है। जायदाद जागीर पुनग्रहण अधिनियम के तहत राज्य सरकार को मिली है एवं वर्ष 1949 से ही इस पर राज्य सरकार का आधिपत्य है। जागीर पुनग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद ठिकाने के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सरकार ने उनकी सम्पत्ति तहवील सरकार ली थी। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अतः निवेदन है कि निगरार/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी निगरानी वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत, लावा सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में एक पट्टा विलेख जारी किया है। उक्त पट्टा विलेख विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो जारी किया है, वह निगराकार की सम्पत्ति का जारी किया गया है उक्त सम्पत्ति मांजी सा0 शोभाग्य कंवर कि शक्तावतजी की सराय के रूप में मानी जाती है जो निगराकार के पूर्वाधिकारी के स्वामित्व अधिपत्य की रही है। उक्त सराय ठिकाना सरदारगढ़ मौजूद था, उस समय से निर्मित थी। जिसका पट्टा गलत रूप से विपक्षी संख्या 2 के नाम पर जारी कर दिया गया था जो अवैध एवं विधि के विपरीत है। पट्टा जारी करने में नियमों की पालना नहीं की गयी है। विपक्षी संख्या 2 का उक्त जायदाद में कोई हक अधिकार स्वत्व व स्वामित्व निहित नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है, उसके संबंध में विपक्षी संख्या 2 को उक्त जायदाद कहां से व किस रूप से प्राप्त हुई है, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 2 को सरकार द्वारा आवंटित नहीं कीगयी है। भूमि अन्दर हल्का आबादी में बना हुआ भवन है और उक्त भवन का निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भवन को विपक्षी संख्या 2 के स्वामित्व का मानते हुए पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत सरदारगढ द्वारा प्रचलित नियमों की पालना नहीं की गयी है। न तो विधिनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है न ही आवेदन पर विधिनुसार कार्यवाही हुई है। न तो आपत्ति आमंत्रित की गयी, न ही मौका रिपोर्ट बनाई गई है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने न तो कोई प्रस्ताव पारित किया है, न ही पंचायत द्वारा उक्त पट्टे की पत्रावली में पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की है। पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक से उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में और किस आदेश से प्राप्त हुई है. ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। निगराकार के स्वामित्व के भवन का पट्टा विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 के नाम पर गलत रूप से जारी कर दिया गया है जो विधि के विपरीत हैं। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किया है लेकिन पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के तहत बने हुए नियमों की पालना उक्त मामले में ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गयी है। पंचायत को यदि उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में विपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किये है तो बिना किसी दस्तावेज या आदेश के ग्राम पंचायत को उक्त मामले में पट्टा जारी नहीं करना था क्योंकि सामान्य परिस्थिति में भी यह स्पष्ट था कि विपक्षी संख्या 2 एक राजकीय संस्थान है और यदि उसके स्वयं की यह भूमि होती तो उसके आवंटन का आदेश विपक्षी संख्या 2 के पास मौजूद होता लेकिन ऐसा कोई आदेश उक्त मामले में विपक्षी संख्या 2 के पास मौजूद नहीं रहा हे ऐसी स्थिति में उक्त पट्टे की कार्यवाही में किसी प्रकार का ऐहतियात ग्राम पंचायत द्वारा नहीं रखा गया और मनमकसूद तरीके से यह पट्टा जारी कर दिया गया है जबकि पट्टशुदा भूमि में बना हुआ भवन विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्मित ही नहीं किया गया हैं यह तथ्य विपक्षी संख्या 1 बखूबी जानता था लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी निगराकार के स्वामित्व के भवन का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया है जो विधि के विपरीत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आजादी के समय ठिकाना सरदारगढ़ की और से यहाँ इसी भवन में जो एक मंजिला था स्कूल चलता था जागीर पुनग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद यह भवन सन् 1949 में सरकार के कब्जे में आया। वहाँ सरकार एवं जनता के सहयोग से दूसरी मंजिल की तामीर करवाई स्कूत बदस्तुर चलती रही वर्तमान में इस भवन में बालिका माध्यमिक विद्यालय चल रहा है एवं राज्य सरकार में इस भवन का स्वामित्व होकर उसने अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भवन का सुविधानुसार ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त किया जो वैद्य है। जायदाद जागीर पुनग्रहण अधिनियम के तहत राज्य सरकार को मिली है एवं वर्ष 1949 से ही इस पर राज्य सरकार का आधिपत्य है। जागीर पुनग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद ठिकाने के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सरकार ने उनकी सम्पत्ति तहवील सरकार ली थी। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अतः निवेदन है कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निगराकार ने विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा विपक्षी संख्या 2 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ के पक्ष में दिनांक 27.07.2003 को जारी पट्टा विलेख संख्या 18364 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उक्त पट्टा विलेख जारी किया है। वह निगराकार की सम्पत्ति का जारी किया गया है उक्त सम्पत्ति मांजी सा0 शोभाग्य कंवर कि शक्तावतजी की सराय के रूप में मानी जाती है जो निगराकार के पूर्वाधिकारी के स्वामित्व अधिपत्य की रही है। उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त पट्टा खारिज फरमाया जावे।

उक्त क्रम में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा विपक्षी संख्या 2 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ के पक्ष में दिनांक 27.07.2003 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत आबादी भूमि का पट्टा विलेख संख्या 18364 जारी किया गया । प्रकरण में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी, जिस क्रम में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा दिनांक 27.07.2003 को राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पट्टा जारी किया गया था जिसके पट्टा क्रमांक 18364 है। उपरोक्त पट्टा ग्राम सभा दिनांक 27.07.2003 को ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया जाकर जारी किया गया,जिसकी मिसल पत्रावली पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत में उपलब्ध ग्राम सभा रजिस्टर, विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शे की प्रमाणित प्रतियां ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा प्रेषित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि प्राधानाध्यापिका राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लावा सरदारगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सरदारगढ़ के समक्ष दिनांक 19.04.2003 को विद्यालय भवन परिसर का पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसरण में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा दिनांक 27.07.2003 को ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया जाकर सर्वसम्मति से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ के पक्ष में दिनांक 27.07.2003 को पट्टा जारी किया गया।

जहां तक पट्टे में वर्णित भूमि पर निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य का प्रश्न है। निगराकार द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने स्वामित्व व आधिपत्य होने संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार 50 वर्ष से अधिक समय से पूर्व से विद्यालय भवन संचालित होना प्रमाणित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ के पक्ष में पट्टा जारी करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार प्रार्थी से प्रार्थना पत्र लिया जाकर व ग्राम सभा में विधिवत प्रस्ताव लिया जाकर प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूमि आबादी भूमि है, एवं ग्राम की आबादी में स्थित भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत पंचायतीराज अधिनियम में निहित नियमों की पालना की जाकर गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

19/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)